

संख्या: 2-20 / 2015-ई0एक्स0 एन0-एच0-स्थापना-भाग-2-

आबकारी एवं कराधान विभाग

हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-9

, 2021

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी-बी(2)-1 / 2019 दिनांक 30 मार्च 2021 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर श्री राम पाल अनुबंध आधार पर कार्यरत आशुटंक किंनोने दिनांक 31.03.2021 को अनुबंध आधार पर (03) तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को निम्नवर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपरिथित सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs.5910-20200+2000 ग्रेड पे के अंतर्गत न्यूनतम वेतन ₹0 7910 (5910+2000 ग्रेड पे) व देय भत्ते पर नियमित किया जाता है तथा उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी नुरपुर, जिला कांगड़ा में तैनात किया जाता है :-

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि	नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राम पाल, आशुटंक	पुत्र श्री धर्म चन्द गांव गोरडा, डाठ शाहपुर, ता० शाहपुर जिला- कांगड़ा	30.03.1970	23.10.2017	12.08.2021

नियम व शर्तें:-

1. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पद पर यह नियुक्ति दो वर्षों के लिए अस्थाई है।
2. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
3. कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
4. कर्मचारी को यह शपथ यहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।
5. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
6. कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के अंतर्गत उपक्रम हिमाचल प्रदेश विवरेजिज लिमिटेड, में भी की जा सकती है।
7. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपरिथित सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
8. कर्मचारी यह प्रगाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।
9. कर्मचारी मुख्य विकित्सा अधिकारी/विकित्सा आधिकारी से अपनी रवस्थता संबंधी विकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपरिथित ली जाएगी।
10. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववत् के सत्यापन पर निर्भर करेगी।
11. कर्मचारी किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हें लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे बाल बलन का प्रमाण पत्र उपरिथित के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बद्ध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर अपनी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

१२-०४-२०२१
पृष्ठांकन संख्या: 2-20/2015-ई0एक्स0 एन0-एच0-स्थापना-भाग-2-२२४९९-१०२
(यूनुस) मा०प्र०स०
आबकारी एवं कराधान आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके कार्यालय पत्र संख्या: पीईआर(एपी) सी-बी(2)-1/2019 दिनांक 30 मार्च 2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिं0 प्र० को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), शिमला-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला कोषाधिकारी, नुरपुर, कांगड़ा सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य विकित्सा अधिकारी/विकित्सा अधिकारी नुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
8. व्यक्ति विशेष/निजी नस्ति/गार्ड फाईल।

१२-०४-२०२१
(यूनुस) मा०प्र०स०
आबकारी एवं कराधान आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश